

अतिआवश्यक/आउटटूडे
कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमांक :- 62

दिनांक:- 29.10.2024

कार्यालय-आदेश


मैं, ऋचा चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित करती हूं कि पाली न्यायक्षेत्र/मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के लिए निम्न राजकीय एवं अन्य अवकाशों में न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड/मृत्यु समीक्षा/मृत्यु कालीन कथन इत्यादि आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा उनके नाम के आगे अंकित तारीखों को नियमानुसार सम्पादित किया जायेगा-

नवम्बर, 2024

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिनांक
1.	श्री शिवदान चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत	09.11.2024 10.11.2024
2.	Ms. मनीषा चारण, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, पाली	15.11.2024
3.	Ms. अल्का जोशी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	17.11.2024
4.	श्री जयराम जाट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली	23.11.2024 24.11.2024

निर्देश:-

- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11 से दोपहर 02 बजे तक रहेगा।
- अधिकृत किए गए न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे तथा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की अनुमति के बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
- यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्वी दिवस को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी, जिसे ऐसे घोषित किए गए राजकीय अवकाश के यथास्थिति पूर्व या पश्चात्पूर्वी निर्धारित दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी इत्यादि हेतु अधिकृत किया हुआ है, के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित किए जाएंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली।

क्रमांक:- 2220

दिनांक:-29.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / (सा.द.), पाली / बाली / सोजत / जैतारण / सुमेरपुर।
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / मारवाड जंक्शन / बर / सुमेरपुर / देसूरी / बाली / सोजत / जैतारण / सादडी / रानी।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 सं. 1, पाली / सं. 2, पाली / सोजत / सुमेरपुर।
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट केसेज) नं. 1, पाली / नं. 2, पाली।
6. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रायपुर।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. उप निदेशक अभियोजन, पाली।
10. अध्यक्ष, वकील मण्डल, पाली।
11. प्रभारी, कण्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पाली।
12. रक्षित पत्रावली।
13. सिस्टम ऑफिसर - सभी न्यायालयों में ई-मेल करने व जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।